

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

राजस्थान सरकार

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, गंगापुर
(पीठासीन अधिकारी केम्प स्थल...खाखला)

क्र.सं. 37/2021

निर्णय दिनांक 24.11.21

राजस्थान अधिनियम 136 एल.आर.एक्ट 1956

शैलवाड़ा भूजा जाट बनाम सरकार जरिये तहसीलदार सहाड़ा

वि. खाखला

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी खाखला व भू0अ0नि0 खाखला की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सहाड़ा/नायब तहसीलदार सहाड़ा की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खाखला तहसील सहाड़ा व जिला नीलवाड़ा की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 में खाता संख्या खाखला 561, 564, 597 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी हैं)
1	<u>खाखला</u> <u>ममलगाड़ा</u>	<u>561, 564, 597</u> <u>(खाखला)</u> <u>114, 119, 120</u> <u>(ममलगाड़ा)</u>	<u>शैललाल पुत्र</u> <u>चतुर्भज जाट</u>	<u>शैललाल शं० भूजा जाट</u>

न



प्रकरण संख्या 37/2021

प्रतिलिपि

Pr
(राजेश सुवालका)
पीठासीन अधिकारी
प्रशासन प्रभारी खाखला
प्रशासन गांवों के संग 2021
(उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, गंगापुर (नीलवाड़ा))

दिनांक

1. तहसीलदार सहाड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी शैललाल शं० भूजा जाट वि. खाखला को सूचनाार्थ ।
3. रक्षित पत्रावली।


पीठासीन अधिकारी
प्रशासन प्रभारी खाखला
प्रशासन गांवों के संग 2021
(उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, गंगापुर (नीलवाड़ा))